

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 211/2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

हेरमान टोप्पो
जोरोग जिदन संगी

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	--

20.02.20

आदेश

आवेदक हेरमान टोप्पो पिता पतरिक टोप्पो ग्राम-कालामाटी, पोस्ट-फुदी, थाना खूँटी जिला खूँटी ने जोरोग जिदन संगी पिता मोजेस सामुएल संगी ग्राम-रेवा, पोस्ट-बिरहू, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
कालामाटी	216	100	1182	0.07
			1183	0.31
			1184	0.36
			1170	0.13.15
				0.87.15


उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0399924965 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 165 दिनांक 18.02.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि विक्री केवाला पट्टा सं० 161/159 दिनांक 18.02.2013 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम लोहरा उरांव हैं। पंजी II के अनुसार हेरमान टोप्पो के नाम भूमि का रकबा 8.16 एकड़ है। आवेदक के पास मौजा कालामाटी खाता सं०-100, रकबा 4.49 एकड़ भूमि के आलावे अन्य खाता 100, 101 का रकबा 3.67 एकड़ भूमि कुल रकबा 8.16 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 8900.00 (आठ हजार नौ सौ)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 7.28 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मरिजद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण हेरमान टोप्पो पिता पतरिक टोप्पो को जोरोग जिदन संगी पिता मोजेस सामुएल संगी के साथ ग्राम कालामाटी के खाता सं० 100 खेसरा संख्या 1182,1183,1184,1170 का कुल रकबा 0.87.15 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 8900.00 (आठ हजार नौ सौ)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


20/02/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।


20/02/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।